

झारखंड गजट

असाधारण अंक

झारखंड सरकार वारा काशत

सं" या-812 राँची, सोमवार,

12 कातक, 1938 (श०)

3 नव+बरनव+बर, 2017(ई०)

वध (वधान) वभाग

अ०धसूचना

3 नव+बरनव+बर, 2017

संया-एल०जी०-16/2017-120/लेज०--झारखंड 2वधान मंडल का न+नल4खत अ०धनयम,
जिस पर रा7यपाल 8दनांक 15 सत बर, 2017 को अनुमत दे चुक<ं ह>, इसके वारा सवसाधारण
क< सूचना के लये काशत @कया जाता है ।

झारखंड आधार (ल)*त व+तीय एवं अ-य सहा/यक1, लाभ और सेवा 3दाय) अध/नयम, 2017

(झारखंड अध/नयम-20,2017)

सुशासन, लCDत सहायक<, लाभ एवं सेवा िजनके लए रा7य क< सं०चत न०ध से स+पूण Gयय
@कया जाता है, दान करने के कारगर, पारदशाH उपाय तथा उनसे स+बK मामलL के लए झारखंड रा7य
के नवासी Gयिमत-2वशेष क< एक मा० पहचान के Pप मQ आधार के उपयोग हेतु ावधान के लए
अ०धनयम ।

चूँ@क सुशासन, लCDत सहायक<, लाभ एवं सेवा िजनके लए रा7य क< सं०चत न०ध से स+पूण
Gयय @कया जाता है, दान करने के कारगर, पारदशाH उपाय तथा उनसे स+बK मामलL के लए झारखंड
रा7य के नवासी Gयिमत-2वशेष क< एक मा० पहचान के Pप मQ आधार के उपयोग हेतु

झारखंडगजट(असाधारण)शुSवार,3नव+बरनव+बर,2017

नयम बनाना समीचीन हो गया है, यह भारत गणतं० के सड़सठवQ वष मQ न+नल4खत Pप मQ
अ०धनयमत हो:-

1. सं)*6त नाम, व7तार एवं 3ार भ:-

(1)यह अ०धनयम झारखंड आधार (लCDत 2वWतीय और अYय सहायक<, लाभ एवं सेवा
दाय) अ०धनयम, 2017 कहलाएगा ।

(2)इसका 2वZतार स+पूण झारखंड रा7य मQ होगा।

(3)यह उस तार[ख से वृWत होगा जो रा7य सरकार राजप० मQ अ०धसूचना वारा नयत करे,
और इस अ०धनयम के 2वभYन उपबंधL के लए 2वभYन त०थयाँ नयत क< जा सकती है
तथा इस अ०धनयम के ार+भ होने के बाद @कसी ऐसे उपबंध मQ 8दया गया कोई
नद^श उस उपबंध के ार+भ होने के नद^श के Pप मQ माना जाएगा ।

2. परभाषाएँ:-

(1) जब तक @क सYदभ मQ अYयथा अपेCDत नह[ं] हो तब तक इस अ0धनयम मQ-

- (क) “आधार सं”या” से अभेत है केY₁य अ0धनयम क< धारा-3 के अधीन @कसी GयिMत-2वशेष के लिए नगत पहचान सं”या;
- (ख) “रा7य सरकार का अभकरण” से अभेत है झारखड रा7य मQ केY₁य या रा7य 2व0ध वारा Zथा2पत या ग8ठत कोई ा0धकार या नकाय िजसमQ रा7य सरकार वारा ZवWवधार¹ एवं नयं Oत Zथानीय नकाय एवं कोई अYय नकाय तथा ऐसे नकाय िजनका गठन एवं शासन रा7य सरकार वारा मुख Pप मQ नयं Oत हो, शामिल है;
- (ग) “अ0धमाणन” से अभेत है ऐसी @Sया िजसके वारा @कसी GयिMत-2वशेष से संबंधत जनसांि”यक< सूचना या बायोमे8aक सूचना के साथ-साथ आधार सं”या को केY₁य पहचान डाटा संbह मQ इसके सWयापन के लिए 8दया जाता है और यह संbह उसमQ उपलcध करायी गयी सूचना के आधार पर उसक< शुKता या उसक< कमी को सWया2पत करता है
- (घ) “लाभ” से अभेत है @कसी GयिMत-2वशेष या GयिMतयL के समूह को नगद या वZतु के Pप मQ 8दया गया कोई फायदा, उपहार, राहत या भुगतान तथा इसमQ ऐसे अYय फायदे भी शामिल ह> जो रा7य सरकार वारा समय-समय पर अ0धसू0चत @कए जाएँ;
- (ङ) “बायोमे8aक सूचना” से अभेत है फोटोbाफ, अंगुल-छाप, आइर[स Zकैन अथवा केY₁य अ0धनयम वारा 2वन8दुट GयिMत-2वशेष के ऐसे अYय जै2वक तीक;
- (च) “केY₁य अ0धनयम” से अभेत है आधार (लCDत 2वWतीय एवं अYय सहायक<, लाभ एवं सेवा दाय) अ0धनयमय 2016 (2016 का 18)
- (छ) “केY₁य पहचान डाटा संbह” से अभेत है एक या अ0धक ZथानL मQ केY₁कृत डाटा आधार िजसमQ GयिMत-2वशेष क< सुसंगत जनसांि”यक< सूचना एवं बायोमे8aक

झारखडगजट(असाधारण)शुSवार,3नव+बरनव+बर,2017

3

सूचना तथा उनसे संबंधत अYय सूचनाओं के साथ-साथ आधार सं”या धारकL को नगत सभी आधार सं”याएँ शामिल है;

- (ज) “रा7य क< सं0चत न0ध” से अभेत है झारखड रा7य क< सं0चत न0ध;
- (झ) “जनसांि”यक< सूचना” मQ शामिल है केY₁य अ0धनयम के उपबंधL के अनुसार GयिMत-2वशेष के नाम, जYम त0थ, पता एवं अYय संगत सूचनाएँ @कYतु इनमQ वंश, धम, जात, जनजात, 2वजात, भाषा, हकदार¹ के अभलेख, आय या 0च@कWसा इतहास शामिल नह[ं] है ।
- (ञ) “पंजीयन” से अभेत है केY₁य अ0धनयम के अधीन यथा उपबंधत GयिMत-2वशेष के लिए आधार सं”या नगत करने के योजनाथ पंजीयन अभकरणL वारा उनसे जनसांि”यक< एवं बायोमे8aक सूचना एकO करने क< @Sया; (ट)
- “सरकार” या “रा7य सरकार” से अभेत है झारखड सरकार;
- (ठ)
- “2व8हत” से अभेत है इस अ0धनयम के अधीन बनाए नयमL वारा 2व8हत; (ड)

“सेवा” से अभेत है GयिMत-2वशेष या GयिMतयL के समूह को @कसी Pप मQ 8दया गया कोई ावधान, सु2वधा, उपयो0गता या कोई अYय सहायता तथा इसमQ ऐसी अYय सेवाएँ भी शामिल ह> जो रा7य सरकार वारा अ0धसू0चत क< जा सके;

(ढ) “सहायक<” से अभेत है GयिMत-2वशेष या GयिMतयL के समूह को नगद या वZतु के Pप मQ 8दया गया कोई सहायता, समथन, अनुदान, आ0थक सहायता या 2वनयोग तथा इसमQ ऐसी अYय सहायक< भी शामिल ह> जो रा7य सरकार वारा समय-समय पर अ0धसू0चत क< जाएँ;

(2) इस अ0धनयम मQ युMत @कYतु अपkरभा2षत शल्दL एवं अभGयिMWयL के अथ वहL हLगे जो केY_य अ0धनयम के अधीन उनके लए Sमशः समनुदेशत है ।

3. क/तपय सहा/यक1, लाभ एवं सेवा आ=द 3ा6त करने के लए आधार संया का 3माण आव?यक:-

यथािZथत, रा7य सरकार या रा7य सरकार का कोई अभकरण ऐसे GयिMत-2वशेष क< पहचान सुनिाचत करने के योजनाथ जो रा7य सरकार क< सं0चत न0ध अथवा रा7य सरकार के @कसी अभकरण वारा ग8ठत कोई न0ध या उसके @कसी भाग से स+पूण Pप मQ Gयय होने वाला सहायक<, लाभ या सेवा ामन करना चाहते ह> उनके अ0धमाणन के लए शत के Pप मQ अथवा माण के Pप मQ आधार सं"या देने क< अथवा ऐसे GयिMत-2वशेष के पास आधार सं"या नहलं रहने पर उनसे एतदथ पंजीयन हेतु आवेदन देने क< अपेDा करती है। परYतु जबतक @कसी GयिMत-2वशेष को आधार सं"या नहलं मल जाती है तबतक उसे सहायक<, लाभ या सेवा दान करने के लए पहचान हेतु वैकिनपक एवं Gयवहाय साधन Zतुत करने का 2वकनप 8दया जाएगा ।

झारखडगजट(असाधारण)शुSवार, 3नव+बरनव+बर 2017

4- रा@य सरकार Aवारा 7क1मB क1 अधसूचना:-

रा7य सरकार इस अ0धनयम के ार+भ होने क< तारख से तीन माह के भीतर एवं इसके पाचात् समय-समय पर ऐसी Zक<मL, सहाय@कयL, लाभL या सेवाओं क< सूची अ0धसू0चत करेगी िजनके लए धारा-3 के अनुसार ऐसा अ0धमाणन या माण अपेCDत है ।

5. के-EFय अध/नयम के अGयाय- III और VI का लागू होना:-

केY_य अ0धनयम के अपयाय- III और VI के उपबंधइस अ0धनयम के अधीन अ0धमाणन हेतु यथावायक पकरवतनL स8हत लागू हLगे ।

6. अध/नयम का अ/तःरात होना और Jकसी अ-य /नयम का अKपीकरण नहFं होना:-

इस अ0धनयम के उपबंध तWसमय वृWत @कसी अYय 2व0ध के उपबंधL के अतकरमत हLगे न @क उनका अनपीकरण करने वाले हLगे ।

7. सदभावपूवLक क1 गयी कारLवाई का संर*ण:-

इस अ0धनयम या एतqीन बनाए गए नयमL के अधीन सदभावपूवक क< गयी या @कए जाने से आशयत @कसी बात के लए रा7य सरकार या रा7य सरकार के @कसी पदा0धकारा या अYय कमचारा के 2वपK कोई वाद, अभयोजन या अYय 2व0धक कायवाह नहलं चलायी जायQगी ।

8. /नयम बनाने क1 शिात:-

- (1) रा7य सरकार इस अ0धनयम के उपबंधL को कायािYवत करने के लए राजप0 मQ अ0धसूचना वारा नयम बना सकती है।
- (2) 2वशुटताया और पूवगामी शिMत क< Gयापकता पर तकूल भाव डाले 'बना ऐसे नयमL मQ न+नल4खत सभी या @कसी बात का उपबंध @कया जा सकता है:-
 - (क) 2वभYन सहायक<, लाभ, सेवा एवं अYय योजन, िजनके लए आधार सं"या का उपयोग @कया जा सके, दान करने या उपल८ध कराने के योजनाथ आधार सं"या के उपयोग करने क< रत 2वन8दुट करना;
 - (ख) कोई अYय बात जो अपेCDत हो अथवा नयमL को बनाए जाने वाले उपलबंधL के संबंध मQ अपेCDत हो सके, 2वन8दुट करना ।
- (3) इस अ0धनयम के अधीन बनाया गया Wयेक नयम बनाए जाने के तुरYत बाद रा7य 2वधान मंडल के समD, जब वह कुल तीस 8दनL क< अव0ध के लए जो एक स0 या दो या उससे अ0धक उWतरवतH स0L से पूरा हो सके, रखा जाएगा, और य8द उस स0 के अवसान के पूव िजसमQ वह रखा गया था अथवा उसके तुरYत बाद आने वाले स0 या स0L मQ रा7य 2वधान मंडल @कसी नयम मQ कोई उपांतरण करने के लए सहमत हो जाता है अथवा रा7य 2वधान मंडल सहमत हो जाता है @क नयम बनाया ह[नह[ं जाए तथा इस आशय का अपना 2वनाचय राजप0 मQ अ0धसूचत कर देता है तो अ0धसूचना काशन क< तारख से यह नयम यथािZथत, उपांतकृत Pप मQ भावी होगा या भावी ह[नह[ं होगा, तथा2प ऐसा उपांतरण या बातलकरण उस नयम के अधीन पूव मQ क< गयी या करने के लए छोड़ी गयी @कसी बात क< 2व0धमाYयता पर तकूल भाव डाले 'बना होगा ।

झारखडगजट(असाधारण)शुSवार, 3नव+बरनव+बर, 2017

5

9. क=ठनाई दूर करने क1 शिात:-

- (1) य8द इस अ0धनयम के उपबंधL को भावी बनाने मQ कोई क8ठनाई उWपYन होती है तो रा7य सरकार अवसरानुसार राजप0 मQ आदेश काशत कर कुछ ऐसा उपबंध कर सकती है जो इस अ0धनयम के उपबंधL से असंगत न हो तथा जो क8ठनाई दूर करने के योजनाथ आवायक या समीचीन तीत हो; परYतु, इस अ0धनयम के ार+भ होने क< तारख से दो वष क< अव0ध-अवसान के पाचात इस कार का कोई आदेश नह[ं @कया जाएगा।
- (2) उप-धारा-(1) के अधीन @कया गया Wयेक आदेश @कए जाने के तुरYत बाद रा7य 2वधान मंडल के समD रखा जाएगा।

झारखड रा7यपाल के आदेश से

3वास कुमार सिंह,

धानस0चव-सह-2व0ध परामशाH

2व0ध (2वधान) 2वभाग, झारखड, राँची।

वध (वधान) वभाग

अ0धसूचना

3 नव+बर, 2017

संया-एल०जी०-16/2017-121/लेज०--झारखड 2वधान मंडल वारा यथापाकृत और

राज्यपाल वारा ८दनांक १५सत बर, २०१७को अनुमत झारखंड आधार (ल)*त व+तीयएवं अ-य सहा/यक१, लाभ और सेवा उदाय) अध/नयम, २०१७का न+नां@कत अं॒बेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के ा०धकार से इसके वारा काशत @कया जाता है, िजसे भारतीय सं॒वधान के अनु॒च्छेद ३४८ के खड (३) के अधीन उ॒म॒त अ॒ध॒नयम का अं॒बेजी भाषा म॒Q ा०धकृत पाठ समझा जायेगा ।

6

झारखंडगजट(असाधारण)शु॒वार,३नव+बरनव

+बर,२०१७

THE JHARKHAND AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT 2017

(JHARKHAND ACT 20 of 2017)

An Act to provide for, as a good governance measure, efficient, transparent, and targeted delivery of subsidies, benefits and services, the expenditure for which is incurred entirely from the Consolidated Fund of the State, to the individuals residing in the State of Jharkhand using Aadhaar as a sole identifier, and for matters connected therewith.

WHEREAS it is expedient to make a law to provide for, as a good governance measure, efficient, transparent and targeted delivery of subsidies, benefits and services, the expenditure for which is incurred entirely by way of withdrawal from the Consolidated Fund of the State, to the individuals residing in the State of Jharkhand using Aadhaar as a sole identifier, and to provide for matters connected therewith; it is hereby enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Jharkhand Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2017.

(2) It extends to the whole of the State of Jharkhand.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the commencement of that provision.

2. (1) In this Act, unless the context requires otherwise,-

(a) “Aadhaar number” means an identification number issued to an individual under section 3 of the Central Act;

(b) “Agency of the State Government” means any authority or body established or constituted by any Central or State law in the State of Jharkhand including the local bodies, and any other body owned and controlled by the State Government and includes the bodies whose composition and administration are predominantly controlled by the State Government;

(c) “authentication” means the process by which the Aadhaar number along with demographic information or biometric information of an individual is submitted to the Central Identities Data Repository for its verification and such Repository verifies the correctness, or the lack thereof, on the basis of information available with it;

झारखंडगजट(असाधारण)शु॒वार,३नव+बरनव+बर,२०१७

(d) “benefit” means any advantage, gift reward, relief or payment, in cash or kind, provided to an individual or group of individuals and includes such other benefits as may be notified by the State Government, from time to time;

(e) “biometric information” means photograph, finger print, Iris scan, or such other biological attributes of an individual specified by the Central Act;

(f) “Central Act” means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016;

(g) “Central Identities Data Repository” means a centralized database in one or more locations containing all Aadhaar numbers issued to Aadhaar number holders alongwith the corresponding demographic information and biometric information of such individuals and other information related thereto;

(h) “Consolidated Fund of State” means a Consolidated Fund of the State of Jharkhand;

(i) “demographic information” includes information relating to the name, date of birth, address and other relevant information of an individual as per the provisions of Central Act, but shall not include race, religion, caste, tribe, ethnicity, language, records of entitlement, income or medical history;

(j) / “enrolment” means the process to collect demographic and biometric information from individuals by the enrolling agencies for the purpose of issuing Aadhaar number to individual as provided under the Central Act;

(k) “Government” or “State Government” means the Government of Jharkhand;

(l) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

(m) “service” means any provision, facility, utility or any other assistance provided in any form to an individual or a group of individuals and includes such other services as may be notified by the State Government;

(n) “subsidy” means any form of aid, support, grant, subvention or appropriation, in cash or kind, to an individual or a group of individuals and includes such other subsidies as maybe notified by the State Government, from time to time.

(2) Words and expressions used in this Act but not defined hereinabove shall have the same meanings as respectively assigned to them under the Central Act.

3. The State Government or, as the case may be, any Agency of the State Government, may, for the purpose of establishing identity of an individual as a condition for receipt of a subsidy, benefit or service for which the expenditure is incurred entirely by way of withdrawal from, or the receipt therefrom forms part of the Consolidated Fund of

8

झारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 3 नवंबर 2017

बर, 2017

the State, or any fund set up by any Agency of the State Government, require that such individual undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or, in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, such individual makes an application for enrolment:

Provided that, till such time an Aadhaar number is not assigned to an individual, the individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service.

4. The State Government shall, within a period of three months from the date of commencement of this Act, and thereafter, from time to time, notify the list of schemes, subsidies, benefit or services for which such authentication or proof is required as per section -3.

5. The provisions of Chapter III and Chapter VI of the Central Act shall mutatis mutandis apply to authentication under this Act.

6. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force.

7. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer, or other employees of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.

8. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) specifying the manner of use of Aadhaar number for the purposes of providing or availing of various subsidies, benefits, services and other purposes for which Aadhaar number may be used;

(b) any other matter which is required to be, or may be, specified, or in respect of which provision is to be made by rules.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature, while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session or sessions immediately following, the state legislature agree in making any modification in any rule or state legislature agree that rule should not be made, and notify their decision to that effect in the Official Gazette, the rule shall, from the date of publication of such notification, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however,

झारखण्ड गजट (असाधारण) शुवार, 3 नवंबर 2017

9

that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

9. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as occasion arises, by an order published in the Official Gazette, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty:

Provided that, no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
उवास कुमार सिंह,
धानसंचव-सह-2 व 0 ध
परामशाल
2 व 0 ध (2 व धान) 2 व भाग,
झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड राजकल्य मुणालय, राँची वारा काशत एवं मु० राँची वारा
काशत एवं मु० त, झारखण्ड गजट
(असाधारण असाधारण) 812--50